

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3 (89) Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/311

Dated: 31/3/21

Notification No. 85/2020- State Tax

No. F.3(89), Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by section 148 read with sub-section (7) of section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons, notified under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, who have opted to furnish a return for every quarter or part thereof, as the class of persons who may, in first month or second month or both months of the quarter, follow the special procedure such that the said persons may pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39 of the said Act, by way of making a deposit of an amount in the electronic cash ledger equivalent to, -

- (i) thirty five percent of the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the preceding quarter where the return is furnished quarterly; or
- (ii) the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return is furnished monthly:

Provided that no such amount may be required to be deposited-

- (a) for the first month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax liability for the said month or where there is nil tax liability;
- (b) for the second month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the cumulative tax liability for the first and the second month of the quarter or where there is nil tax liability:

Provided further that registered person shall not be eligible for the said special procedure unless he has furnished the return for a complete tax period preceding such month.

Mr. Amit, J.A. 83 H. / Incharge, IT Cell to upload on Department website.

99
6/4/2021

SA-11

17/3/21
21/04/2021

Explanation- For the purpose of this notification, the expression "a complete tax period" means a tax period in which the person is registered from the first day of the tax period till the last day of the tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 31/3/21

No. 13 (86)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/31/3/21

Cop forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. The SD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-IV) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा. 3(89)/वित्त (व्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / 377

दिनांक: 31/3/21

अधिसूचना संख्या 85/2020-राज्य कर

सं. फा. 3(89)/वित्त (व्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली
मान और सेवा का अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की
धारा 39 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों
पर, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को उन
व्यक्तियों के वार्षिक रूप में अधिसूचित करते हैं जिन्होंने प्रत्येक त्रिमास या उसके भाग के लिए विवरणी दाखिल
करने का विवक्षित चुना है, जो त्रिमास के पहले मास या दूसरे मास या दोनों मास में उस विशेष प्रक्रिया का
अनुसरण कर सकें। कि उक्त व्यक्ति निम्नलिखित के समानुपाती रकम का इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में जमा करके
उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन शोध कर का संदाय कर सकेंगे, -

- (i) जहां विवरणी त्रैमासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां पूर्ववर्ती त्रिमास के लिए विवरणी में
इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व का पैंतीस प्रतिशत; या
- (ii) जहां विवरणी मासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां तत्कालीन पूर्ववर्ती त्रिमास के अंतिम मास के
लिए विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व:

परन्तु जहां -

- (क) त्रिमास के पहले मास के लिए, जहां उक्त मास के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर या इलेक्ट्रॉनिक
नकद लेजर में बकाया, कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है;
- (ख) त्रिमास के दूसरे मास के लिए जहां त्रिमास के पहले और दूसरे मास के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद
लेजर या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय लेजर में बकाया, संचयी कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं
है,

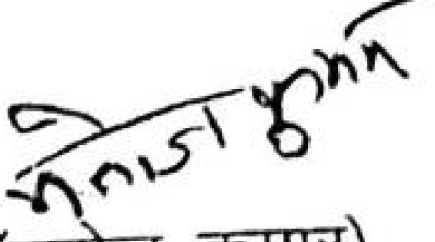
वहां इस कोई रकम जमा करना अपेक्षित नहीं हो सकेगा:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त विशेष प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने पूर्ववर्ती ऐसे
मास की पूर्ण कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं की है।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "पूर्ण कर अवधि" पद से वह कर अवधि अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक रजिस्ट्रीकृत होता है।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(मनोज कुमार)

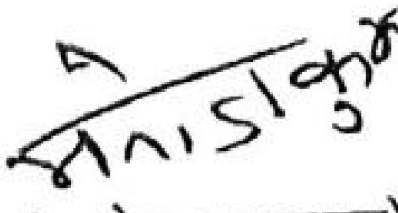
उप सचिव-IV (वित्त)

दिनांक: 31/3/21

सं.प. 3(89)/वित्त(व्यय-IV)/2020-21/डीएस-IV/311

प्रति भेपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार असाधारण में प्रकाश पार्थ।
3. सचिव वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेब साईट।
12. गार्ड फाइल।


(मनोज कुमार)

उप सचिव-IV (वित्त)